राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम
(सरकार का प्रतिष्ठान)
प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

पी.ई.जी. 2008

भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों को संग्रहित करने हेतु राजस्थान राज्य को पी.ई.जी.–2008 योजना के अन्तर्गत 2.50 लाख मै.टन गोदाम निर्माण प्राईवेट निवेशकों के माध्यम से कराए जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों के संग्रहण हेतु वर्तमान में देश मे भण्डारण क्षमता की कमी की पूर्ति करना है।

इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम को भारत सरकार द्वारा नोडल एजेन्सी बनाया गया है। इस योजना में निजी निवेशकों द्वारा अपनी भूमि पर निर्दिष्ट स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम के स्पेसीफिकेशन्स एवं निर्देशों के अनुसार स्वयं के खर्चे पर गोदाम निर्माण कराया जाएगा जिसे भारतीय खाद्य निगम द्वारा 10 वर्ष के लिए गारण्टी पर किराये पर लिया जाएगा।

इस योजना के अन्तर्गत 45,000 मै.टन भण्डारण क्षमता के गोदामों का निर्माण इस निगम द्वारा किया जाएगा एवं 2,05,000 मै.टन भण्डारण क्षमता के गोदामों का निर्माण निम्नलिखित स्थानों पर निजी निवेशकों से कराये जाने हेतु निगम द्वारा 2.05 लाख टन की निविदाएं स्वीकृत कर कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। उक्त में से 15000 मैट्रिक टन जालौर की भण्डारण क्षमता को भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिनांक 09.04.2015 की स्टेट लेवल कमेटी में निरस्त किया गया है।

क्र.सं.	भा.खा.नि. जिला	रेवेन्यू जिला	भण्डारण क्षमता (मै.टन)
1.	पाली	पाली	**5,000
2.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	**25,000
3.	चूरू	चूरू	**18,000
4.	बाड़मेर	बाड़मेर	***15,000
5.	झालावाड़	झालावाड़	*7,500
6.	सिरोही	सिरोही	***12,000
7.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	*17,500
8.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	*10,000
9.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	**40,000
10.	राजसमन्द	राजसमन्द	***40,000
		योगः–	**1,90,000**

* 27,500 मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता को गांरटी आधार पर टेक ऑवर किया जा चुका है।

** 95,500 मैट्रिक टन की भण्डारण क्षमता के गोदाम भारतीय खाद्य निगम को AUB पर हस्तान्तरित कर दिये गये है।

*** राजसमंद 40,000 मैट्रिक टन, सिरोही 12,000 मैट्रिक टन एवं बाड़मेर 15,000 मैट्रिक टन कुल 67,000 मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता की निवेशक द्वारा देरी से निर्माण होने के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

पी.ई.जी. योजना, 2008 के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम की गांरटी योजना के अधीन निगम द्वारा 45,000 मै.टन गोदाम निर्माण कराने जाने का निर्णय लिया गया है। निम्न गोदामों का निर्माण निगम अपनी स्वंय की भूमि पर कर रहा हैं।

क्र.सं.	भण्डारगृह का नाम	क्षमता (मै.टन में)
1.	बाड़मेर	*5000
2.	जालौर	*5000
3.	बांसवाड़ा	*5000
4.	हिण्डौनसिटी	*5000
5.	भवानीमण्डी	*5000
6.	करौली	**5000
7.	हिण्डौनसिटी	*15000
	कुल योग	**45000**

*40,000 मैट्रिक टन की भण्ड़ारण क्षमता के गोदाम भारतीय खाद्य निगम को हस्तान्तरित कर दिये गये है।

** 5000 मैट्रिक टन की भण्ड़ारण क्षमता की टेक ओवर की कार्यवाही करने हेतु भारतीय खाद्य निगम को ऑफर किया हुआ है।